न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 125/2018 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— **2018/00063**
दायर दिनांक :— 11.10.2018 निर्णय दिनांक :— **02.12.2024**

1. खीवराज पुत्र सेवाराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. दलाराम पुत्र सेवाराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भगवानदास पुत्र सेवाराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. अमृतलाल पुत्र सेवाराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. आसाराम पुत्र सेवाराम जाति पालीवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी, राजस्थान

—अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 4

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद मजबूत आधारों एवं दस्तावेजात पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमें वर्णित तमाम आधारो एवं प्रस्तुत दजस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी मौके पर काबिज है प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी को प्रस्तुत वाद में पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम बाप में खसरा नम्बर 343 रकबा 8—09 बीघा, खसरा नम्बर 344 रकबा 25—11 बीघा, खसरा नम्बर 342 रकबा 38—02 बीघा, खसरा नम्बर 642 रकबा 6—18 बीघा, खसरा नम्बर 746 रकबा 35—06 बीघा, खसरा नम्बर 742 रकबा 32—00 बीघा, खसरा नम्बर 745/2721 रकबा 19—05 बीघा, खसरा नम्बर 744 रकबा 1—06 बीघा, खसरा नम्बर 741 रकबा 16—16 बीघा की आई हुई है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेंट से ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के दादा घासीराम का कब्जा काश्त था। वक्त सेटलमेंट घासीराम फौत हो जाने से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता सेवाराम पुत्र घासीराम के नाम दर्ज हो गयी। वर्तमान में उक्त भूमि अलग अलग खसरान् की प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता सेवाराम के फौत होने पर सेवाराम के नाम संयुक्त रूप से दर्ज खसरा नम्बर 641, 742, 744, 745/2721 की भूमि में मुतवफी सेवाराम का नामान्तरकरण संख्या 966

02.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बतौर सेवाराम के विधिक वारिसान प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम भरा जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया गया। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार सेवाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस होने तथा उक्त पैतृक वादग्रस्त भूमि अपने बंट एवं हिस्से की भूमि पर सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आने से प्रार्थी नामान्तरकरण संख्या 770 निरस्त करवाने तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थी 1 ता 4 के जारी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवकता अप्रार्थी संख्या 4 को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

02.12.24

(सुखाराम पिण्डेल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)